भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या : 167

उत्तर देने की तारीख : 09.03.2026

उम्मीद पोर्टल को सुदृढ़ करना

167. श्रीमती संगीता यादव:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छात्रवृत्ति संवितरण में पारदर्शिता, दक्षता और समयबद्धता में सुधार लाने के लिए एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (उम्मीद) पोर्टल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने हेतु कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आकलन के लिए प्रयुक्त प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतक क्या हैं;

(ग) प्रक्रिया में लगने वाले समय और लंबित मामलों में कमी के संबंध में किए गए आकलन के निष्कर्ष क्या हैं;

(घ) क्या इन निष्कर्षों के आधार पर कोई सुधारात्मक उपाय आरंभ किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ): विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

'उम्मीद पोर्टल को सुदृढ़ करना' विषय पर दिनांक 09.03.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु श्रीमती संगीता यादव द्वारा पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 167 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): मौजूदा वक्फ तथा वक्फ को समर्पित संपत्तियों के विवरण अपलोड करने के लिए मंत्रालय द्वारा एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास (UMEED) अधिनियम, 1995 की धारा 3 (टक) के अनुसार एक वैधानिक पोर्टल, अर्थात् UMEED केंद्रीय पोर्टल–2025 विकसित किया गया और दिनांक 06.06.2025 को इसका शुभारंभ किया गया है, इस पोर्टल पर संपत्तियों का पंजीकरण, सत्यापन, कलक्टर द्वारा सर्वेक्षण, म्यूटेशन, वार्षिक खाता अपडेट, लेखा-परीक्षा, पट्टे पर देना और निगरानी सहित वक्फ संपत्तियों से संबंधित संपूर्ण प्रक्रियाएं भी स्वचालित रूप से होती हैं, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता, प्रभावी प्रबंधन तथा त्वरित शिकायत निपटान सुनिश्चित होता है। तथापि, उक्त पोर्टल में छात्रवृत्तियों के वितरण के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) से (ङ): प्रश्न नहीं उठता।
